कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन सम्बंधी हेतु जानकारी।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में लिये गये 17 बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस कार्यालय द्वारा विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) इस परिवहन कार्यालय में समस्त पंजीकृत वाहनों का अभिलेख की पंजियां एवं नस्तियां सीरियल क्रमांक से रखीं गई हैं तथा वाहनों के चालक/परिचालक लायसन्सों का अभिलेख अभिसूचक रीति से रजिस्टर संधारित किये गये हैं तथा नवीन वाहनों का पंजीयन एवं नवीन चालकों के लायसेन्स का कार्य कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है तथा अन्य कार्य जैसे वाहनों के फिटनिस, अनुज्ञापत्र, कर की मांगे एवं बसूली रजिस्टर नस्तियां सीरियली रखे गये है जिससे सूचना के अधिकार को सरल/आसान/सुबिधाजनक बनाया जा सके।

(ब) इस अधिनियम के अधिनियमित होने से 120 दिनों की भीतर निम्न 17 बिन्दुओं का प्रकाषन किया जा रहा है।

1– जिला टीकमगढ़ में परीवहन कार्यालय का प्रारम्भ 01.07.1999 से हुआ था। इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार पूरा जिला टीकमगढ़ है। वर्तमान में कार्यालय झांसी रोड पर कलेक्ट्रेट परिसर में शासकीय भवन में स्थित है।

इस कार्यालय का मुख्य कार्य वाहनों का पंजीयन करना है तथा उन पर नियंत्रण रखना है तथा वाहनों से निर्धारित मोटरयान कर एवं फीस की बसूली कर शासन की राजस्व आय अर्जित करने का है। इस कार्यालय में वाहनों से सम्बंधित कार्य हेतु विभिन्न शाखाऐं हैं जैसे पंजीयन शाखा, स्थापना शाखा, कर एवं मांग बसूली शाखा, अनुज्ञापत्र शाखा, फिटनिष शाखा, केष शाखा, लेखा शाखा, वाहनों के चैकिंक सम्बंधी कार्य हेतु धारा 86 शाखा।

उपरोक्त वाहनों से सम्बंधित सभी कार्य मोटरयान अधिनियम एवं बनाये गये नियमों के अन्तर्गत म.प्र. शासन, परिवहन विभाग के निर्देषानुसार निर्धारित समय सीमा 3 दिवस, 7 दिवस एवं 10 दिवस में जन सामान्य के कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पर कर्मचारियों को विभिन्न शाखाओं के कार्य सम्पादन हेतु दायित्व सौंपे गये हैं।

2– कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पद नाम एवं स्वीकृति पदों की जानकारी सम्बंधी जानकारी –

पद श्रेणी	स्वीकृत पद	कुल
तृतीय श्रेणी	जिला परिवहन अधिकारी (सहा. क्षेत्रीय परिवहन अधि.)	1
	परिवहन उपनिरीक्षक	1
	सहा. ग्रेड प्रथम	1
	सहा. ग्रेड द्वितीय	2
	सहा. ग्रेड त्रितीय	3
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	2
	फर्राष	1

1. श्री आर. आर. वाथम – जिला परिवहन अधिकारी
2. श्री एस. पी. दुबे – परिवहन निरीक्षक
3. श्री डी. आर. एस. चौहान – परिवहन उपनिरीक्षक
4. श्री भरत सिंह कुषवाह– सहायक ग्रेड–2
5. श्री अनूप कुमार सक्सेना – –''–
6. श्री जावेद हुसैन अल्वी – सहायक ग्रेड–3
7. श्री सुमेष कुमार जैन – –''–
8. श्री रामबहादुर थापा – भृत्य
9. श्री जमुना प्रसाद अहिरवार – फर्राष

उपरोक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहनों से सम्बंधित सभी कार्यों को करने का दायित्व मोटरयान अधिनियम एवं कराधान अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत वाहनों का पंजीयन, अनुज्ञापत्रों व अनुज्ञाप्तियों का निर्गमन करना, वाहनों का निरीक्षण, निगमन करना तथा दण्ड आदि अधिरोपित करना है।

3— इस परिवहन कार्यालय में वाहनों से सम्बंधित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन को पूर्ण कर नियम अनुसार फीस एवं कर की देय राषि जमा करने उपरांत आवष्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निरीक्षण हेतु प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत उपरांत सम्बंधित शाखा में टीप तैयार का आदेष प्राप्त होने पर कागजात तैयार कर सम्बंधित आवेदक को प्रदाय किये जाते हैं।

4— कार्यालय में वाहनों से सम्बंधी सभी कार्यों का निष्पादन आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पूर्ण करने पर कार्य को एक निर्धारित समय सीमा जो म.प्र. शासन, परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देषानुसार 3 दिवस, 7 दिवस एवं 10 दिवस में पूर्ण किया जाता है।

5— कार्यालय में उपयोग किये जाने वाले अधिनियम एवं नियमों की जानकारी निम्नानुसार है—

(1) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989

(3) मध्य प्रदेष मोटरयान कराधान अधिनियम 1991

(4) मध्य प्रदेष मोटरयान कराधान नियम 1991

(5) मध्य प्रदेष मोटरयान नियम 1994

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त म.प्र. शासन, परिवहन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले निर्देषों एवं संषोधनों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

6— इस परिवहन कार्यालय में वाहनों से सम्बंधित अभिलेख का संधारण सीरियली पेजीयन क्रमांक के अनुसार ही नस्तियों एवं निर्धारित रजिस्टर रखे गये हैं। तथा वाहन चालकों/परिचालकों के रजिस्टर क्रमानुसार रखे गये है तथा वाहनों से सम्बंधित अभिलेख एवं चालकों से सम्बंधित अनुज्ञप्तियों का अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

7— कार्यालय में ऐसी दो परामर्षदात्री समीतियों की संरचना नहीं की गई अतः जानकारी निरंक है।

8— कार्यालय में कोई बोर्ड/समीतियां नहीं बनाई गई हैं।

9 एवं 10— कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन एवं प्राप्त सुबिधाओं की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	पद	वेतन
1.	श्री आर. आर. बाथम	जिला परिवहन अधिकारी	
2.	श्री भरत सिंह कुषवाह	सहा. ग्रेड–2	9540/–
3.	श्री अनूप कुमार सक्सेना	–''–	9427/–
4.	श्री सुमेष जैन	सहा. ग्रेड–3	5400/–
5.	श्री जावेद हुसैर अल्वी	–''–	5684/–
6.	श्री रूप नारायण दुबे	–''–	6200/–
7.	श्री राजबहोर कोल	–''–	5300/–
8.	श्री रामबहादुर थापा	भृत्य	5023/–
9.	श्री जमना प्रसाद अहिरवार	फर्राष	2228/–

11— (अ) कार्यालय का वित्तीय वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्राप्त वजट – 603000.00

(ब) व्यय – 179881.00

(स) शेष बजट – 423119.00

12— इस परिवहन कार्यालय में कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है, तथा कार्यालय में अनुदान के प्रोग्राम के प्रदर्षन की शक्ति और आवंटित रकमों और प्रोग्राम के हितग्राहियों का विवरण कार्यक्रम नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

13— (1) राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे हितग्राहियों जिनके द्वारा केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभिन्न वित्तीय योजनाओं से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किये ऐसे वाहनों को 4 वर्ष के लिये 50 प्रतिषत कर से मुक्त रखा है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों के वाहनों के अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में वरीयता प्रदान की जा रही है।

(3) महिलाओं के लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की लिये वरीयता देने का प्रावधान किया गया तथा महिलाओं को यात्री वाहनों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु शीट आरक्षित रखने के लिये अनुज्ञापत्रों की शर्त निर्धारित की गई है।

(4) मध्य प्रदेष शासन परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 1 अक्टूवर 2004 से आम जनता के समस्त विभागीय कार्य समयावधि में सम्पन्न कराने ''एकल खिड़की प्रणाली'' व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत कार्यालय में एकल खिड़की काउन्टर बनाये गये हैं। आम जनता (आवेदक) कार्यालय में प्रतिदिन अपने वाहनों से संबंधित आस्थायी/स्थायी लायसेन्स, कन्डक्टर लायसेन्स, वाहनों के आस्थाई/स्थाई पंजीयन भाड़ा क्रय करार/पट्टा/पृष्ठाकंन/निरस्त करने कार्य आवेदक द्वारा आवेदन पर नियमानुसार जमा हाने एवं आवष्यक दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत परीक्षण कर सभी कार्य निष्चित समयावधि 3 दिवस में तैयार कर आवेदक को प्रदान किया जाता है।

14– कार्यालय में जानकारियों की सूची उपलब्ध है तथा अभी इलेक्ट्रोनिक फार्म सूचना के बारे में विवरण हेतु व्यवस्था नहीं है।

15– इस कार्यालय में आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के हेतु काउन्टर बनाये गये हैं तथा पुस्तकालय की वर्तमान में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियमों एवं नियमों से सम्बंधित जानकारी कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक से प्राप्त की जा सकती है।

16– कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का नाम व पद

1. श्री आर. आर. बाथम – जिला परिवहन अधिकारी

सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व पद

1. – परिवहन निरीक्षक/कार्यालय वरिष्ठ लिपिक

17– ऐसी कोई अन्य सूचना नहीं हैं जो विहित की जाये।

जिला परिवहन अधिकारी
जिला टीकमगढ़ म.प्र.